

संसदीय कार्य मंत्रालय

राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई

Posted On: 14 JUN 2017 4:28PM by PIB Delhi

भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव आयोजित करने हेतु राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत चुनाव आयोग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे चुनाव के लिए लोकसभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी हैं, जिन्होंने यह सूचना जारी की है कि-

- (1) नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास कमरा संख्या 18, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में और अगर वह अपरिहार्य रूप से अनुपस्थित हैं तो सहायक चुनाव अधिकारी श्री रिवन्द्र गारिमेला, संयुक्त सचिव या श्री विनय कुमार मोहन, निदेशक, लोकसभा सचिवालय के पास कथित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) प्रातः 11 से 3 बजे दोपहर तक 28 जून, 2017 तक जमा कर दिए जाएं।
 - (2) प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ आवेदक जिस संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है उसकी मतदाता सूची की प्रविष्टि से संबंधित प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।
- (3) हर उम्मीदवार को पन्द्रह हजार रुपए की राशि जमा करानी होगी। यह राशि निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के समय नगद जमा की जा सकती है या इसे भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में पहले ही जमा कराया जा सकता है। सरकारी खजाने में जमा करने के मामले में नामांकन पत्र के साथ इस आशय की रसीद जमा करनी होगी कि कथित राशि जमा की जा चुकी है।
 - (4) नामांकन फॉर्म उपरोक्त कार्यालय से निर्धारित समय में प्राप्त किए जा सकते है।
- (5) अधिनियम की धारा 5बी की उप-धारा (4) के तहत रद्द किए गए आवेदनों को छोड़कर नामांकन पत्रों को 29 जून, 2017 को प्रातः 11 बजे कमरा संख्या 18, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली स्थित उक्त कार्यालय में जांच हेतु ले जाया जाएगा।
- (6) उम्मीदवारी वापिस लेने की सूचना या तो आवेदक द्वारा स्वंय या उसके किसी एक प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, जिसे उम्मीदवार ने लिखित रूप से इस बारे में अधिकृत किया है, अधोहस्ताक्षरी को 1 जुलाई, 2017 को दोपहर 3 बजे से पहले उपरोक्त पैराग्राफ (1) में उल्लिखित स्थान पर दी जाए।
 - (7) चुनाव लड़े जाने की स्थिति में मतदान नियमों के तहत निर्धारित मतदान स्थलों पर 17 जुलाई, 2017 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा।

निर्वाचन अधिकारी अनूप मिश्रा

नई दिल्ली भारत के राष्ट्रपति पद के

दिनांक:14 जून, 2017 चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी

(महासचिव, लोकसभा)

वीके/आईपीएस/डीके- 1725

(Release ID: 1492775) Visitor Counter: 5









in